विवरणिका

2019–20

रामेश्वरी देवी राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,
भरतपुर (राज.) 321001

Website- www.hte.rajasthan.gov.in
Email- rdgirls@gmail.com
Phone - 05644-222774
Fax - 05644-222850

रामेश्वरी देवी राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,
भरतपुर (राज.) 321001
[NAAC GRADE - B]

विवरणिका

2019—2020

श्रीमती लता शर्मा
कार्यवाहक प्राचार्य एवं संरक्षक

श्रीमती सविता भार्गव
अकादमिक प्रभारी

संपादक मण्डल

डॉ. निशा गोयल	संयोजक
डॉ. मीनू अरविन्द अग्रवाल	सदस्य
डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	सदस्य
डॉ. अलका गोयल	सदस्य

श्रीमती लता भार्मा

प्राचार्य की कलम से

नवीनतम भौक्षणिक सत्र 2019–20 के भुभारंभ के अवसर पर आप सभी छात्राओं एवं अभिभावकों का महाविद्यालय में स्वागत है। रामे" वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर विगत 48 वर्शो से राजस्थान के पूर्वान्चल में महिला ि" ाक्षा की एक अग्रणी संस्था के रूप में ज्ञान विज्ञान के आलोक को प्रसारित कर रहा है। इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों संकायों के साथ–साथ स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत, समाज" ाास्त्र तथा हिन्दी की कक्षाऐं संचालित होती है।

छात्राओं के लिए विशयों के उच्च स्तरीय अध्यापन एवं भाोध हेतु अधिकां" ा संकाय सदस्य पीएच.डी उपाधि धारक हैं जिनमें से कई सदस्य अपने विशय के भाोध कार्य से जुड़े हुये हैं। विभिन्न विशय क्षेत्रों में ज्ञानार्जन हेतु महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर सिस्टम एवं इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न विशयों के प्रायोगिक अध्ययन स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार/यू.जी.सी. एवं रूसा से प्राप्त वित्तीय सहायता से प्रयोग" ाालाओं को समुन्नत करने के लिए महाविद्यालय प्र" ाासन निरन्तर प्रयत्न" ाील है।

महाविद्यालय में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास किया जाता है। समुचित फर्नीचर व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था युक्त अध्ययन कक्षों के साथ स्वच्छ भीतल पेय जल के लिए आर.ओ.प्लान्ट, वाटर कूलर तथा उच्च क्षमता के जनरेटर की सुविधा इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है। इस महाविद्यालय में संचालित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों, यथा युवा विकास केन्द्र, एन.एस.एस. रेन्जर टीम, उद्यमिता एवं रोजगार प्रकोश्ठ, प्लेसमेंट सैल जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी रखते हुए राश्ट्रीयता, अनु" ाासन, विनम्रता एवं समाज सेवा जैसे मानवीय मूल्यों को व्यक्तित्व में आत्मसात करते हुए महाविद्यालय परिसर की स्वच्छता तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण एवं सम्वर्द्धन भी आपका नैतिक दायित्व है। मुझे पूर्ण वि" वास है कि कठिन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपनी अध्ययन" ाीलता, भावी लक्ष्य के प्रति निरन्तर उद्यम" ाील एवं सचेत रहते हुए अनु" ाासन के साथ आप इस संस्था को भौक्षणिक ऊँचाई तक ले जायेंगी। भौक्षणिक–सह" ौक्षणिक तथा ि" ाक्षणेत्तर संसाधनों से सम्पन्न महाविद्यालय में अपना चहुँमुखी व्यक्तित्व विकास करने हेतु महाविद्यालय एवं अध्ययन कक्षों में छात्राओं का निरन्तर उपस्थित रहना आव" यक है।

राश्ट्रीय उच्चतर ि" ाक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत महाविद्यालय को 2 करोड रूपये की ग्राण्ट स्वीकृत हुई, जिसकी सम्पूर्ण रा" ा महाविद्यालय को प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त रा" ा से महाविद्यालय में जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ हो चुका है। पूरे महाविद्यालय की निगरानी एवं सुरक्षा की दृश्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे (रिकॉर्डिंग सुविधा सहित) इस्टॉले" ान का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अन्तर्गत पुस्तकालय में समस्त विशयों में पुस्तकें क्रय की गयी हैं। स्टील फर्नीचर जैसे अलमारियां एवं कुर्सियां हाल व विभागों के लिए क्रय किए गए हैं। साथ ही सभी प्रायोगिक विभागों में नवीनतम उपकरण पाठ्यक्रमानुसार क्रय किए गए हैं। कम्प्यूटर क्षेत्र में गत सत्र से अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब प्रारम्भ हो चुकी है। जिसका प्रमुख उद्धे" य एक कम्प्यूटर टीचिंग लर्निंग केन्द्र विकसित करना है। पूर्ण सुसज्जित कॉन्फ्रेन्स हॉल, स्मार्ट लैब भी तैयार हो चुके हैं। विगत सत्रों में छात्राओं की मांग को देखते हुए इण्डोर जिम विकसित करने के लिए उपरकरण क्रय किये जा चुके हैं। उम्मीद है नए सत्र में छात्रायें लाभान्वित होंगी। महाविद्यालय के लिए ये हर्श का विशय है कि पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा महाविद्यालय को नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसी क्रम में रूसा ग्रान्ट से दो नवीन कक्षा–कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा भीघ्र ही अन्य कक्षा–कक्षों का निर्माण प्रारम्भ होने जा रहा है। कैन्टीन का जीर्णोद्धार भी रूसा मद से किया जाना प्रस्तावित है। गत वर्श एमएचआरडी के उन्नत भारत अभियान (UBA) कार्यक्रम से भी यह महाविद्यालय जोडा गया है जिसके तहत रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाएगा। नगर निगम भरतपुर की ओर से नवीन कैन्टीन को निर्माण कार्य जारी है। इसी के साथ लाइब्रेरी ऑटोमे" ान का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। महाविद्यालय की बी.एस.सी द्वितीय वर्श की छात्रा कु॰ नि" ाता मंगल का भ्यार्ट टर्म साइस प्रोजेक्ट में चयन हुआ, इस हेतु उसे 14000 रूपये प्रतिमाह फैलो" ाप मिली। स्काउड एण्ड गाइड़ के अन्तर्गत एड़वान्स ट्रेनिंग प्राप्त रेन्जर लीड़र महाविद्यालय मे उपलब्ध है। राश्ट्रपति रेन्जर सर्टिफिकेट का कोर्स पूर्ण करने के लिए सात छात्राऐं पचमढ़ी (म.प्र.) गई।

खेल विभाग में विभिन्न खेलों में छात्राऐं इन्टर यूनिवर्ससिटी एवं ऑल इण्ड़िया यूनिवर्ससिटी में भाग लेने गई। महाविद्यालय की छात्राओं ने महाराजा सूरजमल बृज यूनिवर्ससिटी, भरतपुर में बैडमिंटन में चैम्पियनि" ाप जीती। छात्रा प्रियंका भार्मा अन्तर्राश्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने गईं। प्लेसमेंट सेल और कैरियर काउन्सिलिंग के अन्तर्गत रोजगार कार्य" ाला का आयोजन हुआ। गत सत्र में 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत निः" ुल्क प्रतियोगिता दक्षता कक्षाऐं एवं सामान्य ज्ञान पुस्तकों का वितरण, भाोध अभिवृद्धि, महिला स" ाक्तिकरण हेतु कार्य" ााला, आत्मरक्षा प्रि" ाक्षण आदि कार्य हुए। इस सत्र में डोने" ान वेस्ड बुक बैंक, आधुनिक सुविधायुक्त केन्टीन का निर्माण, गेट का निर्माण, कार पार्किंग का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

महाविद्यालय में आयुक्तालय के निर्दे" ाानुसार सत्र 2013–14 से स्नातक (प्रथम वर्श) तथा 2016–17 से एम.ए. पूवाद्ध एवं वर्श 2019–20 से एम.ए. उत्तराद्ध, स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्श के पाठ्यक्रमों हेतु "ऑन लाइन" एडमि" ान प्रोसेस को लागू किया गया है। प्रवे" ा प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त नियमावली एवं महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त जानकारी निदे" ाालय वेब साइट **www.hte.rajasthan.gov.in** पर महाविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन करते समय इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा प्रवे" ा पाने के बाद नियमों तथा निर्दे" ाों की पालना सुनि" चत करें।

आप सभी के मंगलमय उज्ज्वल भविश्य की भाुभ कामनाओं के साथ।

(श्रीमती लता भार्मा)
प्राचार्य
रामेश्वरी दवी राज. स्नातकोत्तर
कन्या महाविद्यालय, भरतपुर

महाविद्यालय परिचय

विश्वविख्यात घना पक्षी अभ्यारण्य की स्थली भरतपुर के ऐतिहासिक अजेय लोहागढ दुर्ग के मध्य अवस्थित रामेश्वरी देवी राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान के पूर्वांचल में महिला शिक्षा की एक अग्रणी संस्था है। भरतपुर में उच्च शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से इस महाविद्यालय की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 1971 में एक स्नातक कन्या महाविद्यालय के रूप में किशोरी महल परिसर में की गई। महिलाओं में उच्च शिक्षा की बढ़ती जागरूकता के परिणाम–स्वरूप गत वर्षों में महाविद्यालय में छात्राओं के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है। सन् 1976 में महाविद्यालय को वर्तमान परिसर में स्थानीय श्री बद्रीप्रसाद सवा ट्रस्ट के सौजन्य से निर्मित नवीन भवन में स्थानान्तरित किया गया।

केवल कला संकाय से प्रारंभ हुआ यह महाविद्यालय आज कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों संकायों में श्रेष्ठ गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहा है। सन् 1984 में वाणिज्य संकाय एवं सन् 1986 में विज्ञान संकाय का प्रारंभ हुआ। सन् 1994 में राज्य सरकार द्वारा इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत कर संस्कृत तथा समाज शास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर एवं 2009 से स्नातकोत्तर हिन्दी में भी कक्षायें प्रारंभ हुईं। मुख्य परिसर के अतिरिक्त महाविद्यालय की मनोविज्ञान व गृह विज्ञान की प्रयोगशालाएँ, संगीत विभाग, चित्रकला विभाग, पुस्तकालय, स्टूडेंन्ट एडवाईजरी बोर्ड कार्यालय, एन.एस.एस, रेंजरिंग कार्यालय तथा भण्डार आदि समीपस्थ लक्ष्मीरानी महल में संचालित हैं। महाविद्यालय परिसर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्मीरानी महल के पार्श्व में न्यू ब्लॉक एवं वर्ष 2003 से महाविद्यालय परिसर के दक्षिणी भाग में श्री बद्रीप्रसाद सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से चार अध्ययन कक्षों का ब्लॉक अध्ययन कार्य के लिए उपलब्ध है। मुख्य भवन में पहली मंजिल पर दो नये अध्ययन कक्षों का निर्माण हो चुका है एवं पाँच कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है। महाविद्यालय में रसायनशास्त्र प्रयोगशाला के समीप एक कान्फ्रेंस हॉल भी है।

महाविद्यालय में शैक्षणिक उन्नयन एवं आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से विगत वर्षो में कक्षा–कक्षों में ग्रीन बोर्ड, लेक्चर स्टैण्ड, लगभग 10 कक्षों में स्थाई फर्नीचर, आदि से समुन्नत है। महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास रूम एवं कम्प्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा उपलब्ध है। पेयजल की आपूर्ति के लिए दोनों परिसरों में समुचित वाटर कूलर लगाए गए हैं। क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से अध्ययन–अध्यापन के स्तर में गुणात्मक वृद्धि एवं अनुशासन पर पूर्ण निगरानी रखी जा रही ह। पर्यावरणीय चेतना एवं सौंदर्यीकरण की दृष्टि से बाग–बगीचों का रखरखाव सम्पूर्ण साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाविद्यालय में नवनिर्मित बास्केटबॉल कोट एवं स्टेज छात्राओं के उपयोग हेतु उपलब्ध है।

गत वर्षों में महाविद्यालय के परीक्षा परिणाम गुणात्मक एवं संख्यात्मक रूप से निरन्तर श्रेष्ठ रहे हैं। विगत वर्षों में यहां की छात्राओं ने शैक्षणिक, सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों में राज्य एवं राष्ट्र–स्तरीय अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी लगन, निष्ठा, एकाग्रता, कठिन परिश्रम एवं अनुशासन के द्वारा महाविद्यालय की श्रेष्ठ परम्पराओं को बनाये रखेंगी।

महाविद्यालय में पुस्तकालय कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है तथा छात्राओं के लिए फोटो कॉपी मशोन की सुविधा भी उपलब्ध है। महाविद्यालय के सभी विभाग में इन्टरनेट सुविधा, समस्त सुविधाओं युक्त नवीन कम्प्यूटर लैब तथा Wi Fi उपलब्ध है।

प्रवे"ा नीति–2019–20

महाविद्यालय में समस्त प्रवेश प्रक्रिया आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति सत्र 2019–20 के अनुरूप ही संचालित होगी। प्रवेश नीति 2019–20 **www.hte.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

संकाय तथा पाठ्यक्रम

I कला संकाय

स्नातक पाठ्यक्रम

अ – स्नातक प्रथम वर्ष (कला):–

अनिवार्य विषय : 1. सामान्य हिन्दी 2. सामान्य अंग्रेजी

3. प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग 4. पर्यावरण अध्ययन

विषयवार सेक्शन का निर्धारण

1.	राजनीति विज्ञान	–	4
2.	समाज शास्त्र	–	4
3.	संस्कृत	–	2
4.	हिन्दी	–	4
5.	गृह विज्ञान	–	2
6.	मनोविज्ञान	–	1
7.	अंग्रेजी	–	1
8.	चित्रकला	–	1
9.	संगीत	–	1
10.	दर्शनशास्त्र	–	1
11.	इतिहास	–	1
12.	अर्थशास्त्र	–	1

नोटः 1. प्रवेशार्थी को वैकल्पिक विषय, संबंधित विषय में निर्धारित स्थानों का ध्यान रखते हुए योग्यता (परसेंटाइल) के आधार पर दिया जाना संभव होगा। वैकल्पिक विषय वर्ग इस प्रकार है–

Subject Combination

	Subject Combination		
S.No.	Group-A	Group-B	Group-C
01	Hindi	Philosophy	Sanskrit
02	English	Political Science	Drawing & Painting
03	Psychology	Economics	Music
04	Home Science	History	Sociology

नोट :–

1. प्रवेशार्थी उपलब्ध विषय संयोजन (समूह) में से वरीयता के आधार पर विषय समूह का चयन करे।
2. विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त संयोजन (समूहों) में प्राचार्य को संशोधन का अधिकार होगा।
3. इच्छित विषय समूह में स्थान रिक्त होने पर ही विषय समूह में परिवर्तन किया जाना संभव होगा। इस हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में भरे हुए अन्तिम प्रवेश सूची से 15 दिवस के अन्दर ही स्वीकार किये जायेंगे।
4. इस हेतु 200/– निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त ही छात्रा का विषय समूह परिवर्तित माना जायेगा।

ब – स्नातक द्वितीय वर्ष (कला) : प्रथम वर्ष की भाँति

स – स्नातक तृतीय वर्ष (कला) : द्वितीय वर्ष की भाँति

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

इस महाविद्यालय में कला संकाय में **संस्कृत, समाजशास्त्र एवं हिन्दो** में स्नातकोत्तर कक्षाएँ संचालित हैं। तीनों ही विषयों की पूर्वार्द्ध कक्षाओं में आयुक्तालय के निर्दे" ाानुसार 60–60 स्थान स्वीकृत हैं।

II वाणिज्य संकाय

अ – स्नातक प्रथम वर्ष (वाणिज्य) :–

अनिवार्य विषय : 1. सामान्य हिन्दी 2. सामान्य अंग्रेजी

3. प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग 4. पर्यावरण अध्ययन 5. बहीखाता

नोट : अनिवार्य विषयों में बहीखाता विषय केवल उन्हीं छात्राओं के लिये अनिवार्य है जिन्होंने सीनियर सैकण्डरी परीक्षा वाणिज्य संकाय से उत्तीर्ण नहीं की है।

वैकल्पिक विषय : 1. लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी

2. व्यावसायिक प्रशासन

3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध

ब–स्नातक द्वितीय वर्ष (वाणिज्य) : वैकल्पिक विषय प्रथम वर्ष की भाँति

स–स्नातक तृतीय वर्ष (वाणिज्य) : **1. लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी (ABST)**

(अनिवार्य) प्रश्नपत्र–1 अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन

(वैकल्पिक) प्रश्नपत्र–2 (i) प्रबंध लेखांकन

अथवा

(ii)अग्रिम लेखांकन(Advanced Accountancy)

2. व्यावसायिक प्रशासन (Bus. Adm.)

(अनिवार्य) प्रश्नपत्र–1 क्रियात्मक प्रबन्ध

(वैकल्पिक) प्रश्नपत्र–2 (i) बीमा

अथवा

(ii) विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध

3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध (EAFM)

(अनिवार्य) प्रश्नपत्र–1 ग्रामीण विकास एवं सहकारिता

(वैकल्पिक) प्रश्नपत्र–2 (i) व्यावसायिक बजटन

अथवा

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त

नोट– वाणिज्य तृतीय वर्ष में वैकल्पिक विषय महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम एवं प्रवेश नीति 2019–20 के अनुसार रहेंगे।

III विज्ञान संकाय

अ–स्नातक प्रथम वर्ष (विज्ञान) :–

अनिवार्य विषय :	1 सामान्य हिन्दी	2 सामान्य अंग्रेजी
	3 प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग	4. पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय :	**जीव विज्ञान वर्ग**	**गणित वर्ग**
	1. रसायन शास्त्र	1. भौतिक शास्त्र
	2. वनस्पति शास्त्र	2. रसायन शास्त्र
	3. प्राणि शास्त्र	3. गणित

ब–स्नातक द्वितीय वर्ष (विज्ञान) – प्रथम वर्ष की भाँति

स–स्नातक तृतीय वर्ष (विज्ञान) – द्वितीय वर्ष की भाँति

सामान्य नोट :

1. सत्र 2019–20 में स्वयंपाठी से द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के अनिवार्य विषय प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं पर्यावरण अध्ययन को भी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि प्रदान नहीं की जावेगी। उक्त विषयों को छात्रा स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में उत्तीर्ण कर सकती है।
2. सभी संकायों के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे।

पी–एच. डी. (शोध) :– महाविद्यालय में वर्तमान में पी–एच.डी. उपाधि हेतु कला वर्ग के राजनीति विज्ञान, संस्कृत, हिन्दी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र एवं चित्रकला विषयों में तथा विज्ञान वर्ग के रसायनशास्त्र, जन्तु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, इसके लिए संबंधित विभाग से सम्पर्क करें।

प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

01. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के पात्रता नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही दिया जाएगा, जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। (प्रवेश नीति 2019–2020 संलग्न है)
02. स्नातक (प्रथम वर्ष) कक्षाओं में प्रवेश चाहने वाली प्रत्येक छात्रा को विभिन्न संकायों के लिए पृथक–पृथक ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने होंगे, आवेदन फार्म एक संकाय से दूसरे संकाय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। इस हेतु अलग–अलग ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरें।
03. स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं में प्रवेश की इच्छुक छात्रा को अलग–अलग विषय के लिए पृथक–पृथक ऑन लाइन आवेदन पत्र देने होंगे। प्रवेश फार्म का एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण नहीं होगा।
04. विद्यार्थी को कक्षा के जिस वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
05. प्रवेश प्रक्रिया में चालान जमा करते समय महाविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्रा को अपने परिचय–पत्र की पूर्ति करनी है। यदि परिचय–पत्र खो जाये तो दण्ड–स्वरूप शुल्क सूची के अनुसार डूप्लीकेट परिचय–पत्र बनवाने की राशि जमा कर नया परिचय पत्र बनवाना होगा।
06. परिचय–पत्र के अभाव में पुस्तकालय एवं अन्य महाविद्यालय सुविधाओं से आप वंचित रह जायेंगी। साईकिल,स्कूटर/मोपेड नम्बर, परिचय–पत्र में अवश्य लिखें।
07. फीस की रसीद को सुरक्षित रखिए। यही आपके नियमित छात्रा होने का प्रमाण है।
08. प्रवेश के योग्य छात्राओं की सूची वरीयता क्रम में सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। प्रवेश हेतु योग्य घोषित होने पर निर्धारित अवधि में शुल्क जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश स्वतः रद्द हो जावेगा। प्रवेश की सूचना एस.एम.एस. द्वारा ऑन लाइन प्रवेश वालो को दी जायेगी। निर्धारित तिथि पर शुल्क जमा कराकर प्रवेश सुनिश्चित करें अन्यथा मेरिट लिस्ट में से नाम काटकर वरीयताक्रमानुसार अगली अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।
09. एक मास तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर उपस्थिति पंजिका से छात्रा का नाम काट दिया जाएगा।
10. प्राचार्य बिना कारण बताये छात्रा का प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।
11. प्रवेश नियमों में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर किए गये परिवर्तन ही मान्य होंगे।
12. प्रवेश संबंधी सूचनायें समय–समय निदेशालय वेब साइट पर आवश्यक रूप से देखें अगर समय निकल जाने जाने पर प्रवेश रद्द हो जाता है, तो छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगी।
13. यदि कोई छात्रा महाविद्यालय की सामग्री की तोड़ फोड़, नुकसान, या चोरी करती हुई पायी गयी तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
14. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य करने वाली छात्रा का प्रवेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और उसके चरित्र प्रमाण–पत्र में यह तथ्य लिखा जाएगा।
15. प्राचार्य, उपाचार्य, व्याख्याताओं व कर्मचारियों व अन्य छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाली छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
16. यदि कोई प्रवेश नियम के विरुद्ध पाया गया या छात्रा द्वारा प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र जाली पाया गया तो प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा और महाविद्यालय नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करेगा तथा प्रमाण पत्र को न्यायिकजांच हेतु भेज सकेगा।
17. निम्नलिखित कार्यों हेतु निम्नांकित अधिकारियों से मिलें ।
    संबंधित प्रभारी : छात्रवृत्ति, छात्र सहायता कोष, शुल्क मुक्ति, रेल्वे–बस कन्सेशन आदि।
    संबंधित प्रभारी : प्रवेश, समयसारिणी, चरित्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, आवेदन पत्रों के अग्रेषण आदि कार्य हेतु ।
18. किसी भी कक्षा में प्रवेश की अन्तिम तिथि विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार होगी।
19. प्रवेश योग्य छात्राओं की सूची सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी। सूची की एक–एक प्रति सम्बन्धित संकाय लिपिक एवं कार्यालय में रहेगी जहाँ छात्रा को अपने प्रवेश की जानकारी मिल सकती है।
20. स्नातक पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को पात्रता शर्तें पूरी करने पर द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में पुनः आवेदन नहीं करना पड़ेगा तथा सत्र 2019–20 में गत सत्र के नियमित विद्यार्थी द्वारा राज्य सरकार निर्धारित अंतिम तिथि 27.05.2019 से 07.06.

2019 तक सत्र का शुल्क ई–मित्र पर जमा कराना होगा तभी अन्य पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जावेगा।

21. पिता के शारीरिक रूप से असमर्थ होने तथा आजीविका विहीन होने की स्थिति में जो छात्राऐं फीस आदि की रियायत प्राप्त करना चाहती हैं वे उक्त तथ्य के समर्थन में प्रथम श्रेणी दण्डनायक का प्रमाण–पत्र अपने प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।
22. प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। प्रवेश तब रोक दिया जाएगा जब स्वीकृत स्थान भर जावेंगे।
23. प्रवेश सूचना – महाविद्यालय सूचना पट्ट एवं वेब साइट पर राज्य सरकार एवं निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लगायी जायेगी, प्रवेशार्थी वेब साइट **www.hte.rajasthan.gov.in** एवं सूचना पट्ट अवश्य देखें। सूचना के अभाव में प्रवेश निरस्त होने का उत्तरदायित्व स्वयं प्रवेशार्थी का होगा। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की जानकारी छात्राओं को स्वयं ही प्राप्त करनी है इसके लिये आयुक्तालय की वेब साइट आवश्यक रूप से देखें।
24. प्रवेश की सुविधा के लिए निश्चित तिथि तक अपना आवेदन नियमानुसार करें।
25. प्रवेश के योग्य छात्राओं की सूची वेब साईट एवं सूचना पट्ट पर लगाये जाने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेशार्थी अपना शुल्क जमा करायेंगे अन्यथा प्रवेश रद्द हो जायेगा। शुल्क जमा कराकर शुल्क रसीद व प्रवेश स्वीकृत पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इन्हें संभालकर रखें।
26. ज्ञातव्य है कि विवरणिका में दिये गये दिशा निर्देश महाविद्यालय की कार्य व्यवस्था संचालन हेतु मान्य है। किसी न्यायिक विवाद हेतु इन्हें विधि के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।
27. प्रवेश आवेदन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि तथा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विलम्ब शुल्क प्रथा समाप्त कर दी गयी है।
28. प्रथम बार प्रवेश तब तक अस्थाई समझा जायेगा जब तक महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में नामांकन नहीं हो जाता है।
29. प्रवेश पत्र मे ंदिया गया आपका पता यदि किसी कारणवश बदलता है, तो इसकी लिखित सूचना महाविद्यालय कार्यालय में सरंक्षक के हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें।
30. अपनी मूल अंक तालिका एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ सत्यापित करवाकर पर्याप्त मात्रा में रख लेवें। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने शैक्षणिक शाखा से मूल अंकतालिका एवं मूल प्रमाण पत्र जमा करवाने के पश्चात पुनः शीघ्र निकलवाना संभव नहीं होगा।

प्रवेश आवेदन पत्र भरने हेतु आयुक्तालय वेब साइट www.hte.rajasthan.gov.in पर दिये गये नियमों की पालना आव”यक रूप से करें

प्रवेश हेतु अयोग्य छात्रायें

1. वे छात्राएँ जो विगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई हों।
2. वे छात्रायें जिन्होने कॉलेज में अनुशासनहीनता दिखाई हो, ऐसे कार्यो में भाग लिया हो जो कानूनी दृष्टि दण्डनीय हो, ऐसा व्यवहार किया जो शैक्षणिक वातावरण के विकास में बाधक हो विगत वर्षो में प्राचार्य, उपाचार्य व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों, छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं गाली–गलोच की हो।
3. ऐसी छात्रा जिनके विरूद्ध एफ.आई.आर. अथवा पुलिस में कोई शिकायत महाविद्यालय द्वारा दर्ज कराई गई हो।
4. ऐसी छात्रायें जिन्होने धोखा–धडी की हो जालसाजी के कार्य लिप्त रही हो या चोरी आदि की हो।
5. निम्न प्रकार की छात्रायें कॉलेज में प्रवेश पाने वाबजूद विश्वविद्यालय महाविद्यालय परीक्षाओं हेतु अयोग्य मानी जायेगी।
    - सत्र के अन्त में अनिवार्य उपस्थिति पूरी न करने वाली छात्रायें
    - अनुशासन हीनता के कारण प्राचार्य द्वारा दण्डित छात्रायें।
6. प्राचार्य एवं उपाचार्य कक्ष में विना अनुमति प्रवेश करना, जोर से बोलना, अनुशासन हीनता प्रदर्शित करना, कार्य में बाधा उत्पन्न करना दुव्यवहार की संज्ञा में आता है।
7. अजा/जजा के प्रमाण पत्र का दुरूपयोग करने वाली छात्राये।

अनुशासन

कॉलेज प्रशासन को सभी विद्यार्थियों पर अनुशासन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त है। यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रकार का निंदनीय आचरण अथवा अवैध कार्य करता पाया जाता है जो प्राचार्य की दृष्टि में कॉलेज की छवि अथवा वातावरण को दूषित करता है तो उसको दण्डित किया जा सकता है। दण्ड विधान में जुरमाना एवं अस्थाई या स्थाई रूप से निष्कासन तक की व्यवस्था है। दुराचरण अथवा आदेशों की अवज्ञा करने वाली छात्राओं को कक्षों में बैठने से परीक्षा देने से तथा अगले वर्ष कॉलेज में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। अवांच्छित व्यवहार के परिणाम स्वरूप चरित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र में तदानुसार इन्द्राज किया जा सकता है।

माता–पिता अथवा अभिभावक आवश्यक रूप अपने वार्ड की कॉलेज में उपस्थिति शैक्षणिक प्रगति तथा आचरण सम्बन्धी अन्य बातों की समय–समय पर जानकारी लेते रहें। इसके लिए कॉलेज में आकर प्राध्यापक/प्राचार्य से मिल सकते हो।

छात्रा की महाविद्यालय उपस्थिति आयुक्तालय से प्राप्त निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम होने का दायित्व उसके स्वयं एवं माता–पिता/ अभिभावक का होगा।

छात्रसंघ चुनाव के दौरान छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिसर की दिवारों को नष्ट करना रंगना–पोतना पोस्टर लगाना आदि वर्जित है। साथ ही प्रतिवद्वन्द्वी प्रत्याशी के प्रति की गई अभद्रत्ता को अपराध समझा जायेगा।

छात्राओं को अपना रिक्त समय अनिवार्य रूप से अध्ययन कक्षों, पुस्तकालय एवं खेल–कूद में बिताना चाहियें बरामदों में नहीं। महाविद्यालय में आयोजित प्रत्येक सभा एवं समारोह में प्रत्येक छात्रा की उपस्थिति अनिवार्य है।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

उपस्थिति के नियम अन्य नियमों की भाँति बड़े महत्वपूर्ण है। छात्राओं व उनके अभिभावकों को निम्नांकित नियम सदा ध्यान में रखने चाहियें। इन नियमों का पालन न करने पर छात्रा विश्वविद्यालय की परीक्षा में नियमित छात्रा के रूप में शामिल नहीं हो सकेगी।

1. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश की अनुमति लेने के पूर्व छात्राओं ंकी न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
2. महाविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में जो छात्रायें एन.सी.सी. खेल–कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय तथा अन्तर्विश्वविद्यालय युवा समारोह (विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित) में भाग लेगी। उन्हे उपस्थिति का लाभ दिया जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र महाविद्यालय कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत किये जाने चाहियें।
3. वे छात्रायें जिन्होने महाविद्यालय में प्रवेश लिया उनसे नियमित रहने की अपेक्षा की जाती है। उनकी उपस्थिति की गणना अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी।
4. विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार जिन छात्राओं की उपस्थिति कम पाये जायेगी उन्हें स्वयंपाठी छात्रा के रूप में परीक्षा देनी होगी। स्वयंपाठी (पूर्व छात्रा) अगले वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में परीक्षा दे सकेगी यदि स्थान रिक्त हो एवं आयुक्तालय द्वारा इस हेतु अनुमति प्रदान की गई हो।
5. छात्राओं अथवा अभिभावकों का कतर्व्य है कि वे सम्बन्धित प्रवक्ताओं से तथा महाविद्यालय कार्यालय में समय–समय पर पूछताछ करके उपस्थिति तथा प्रगति के विषय में सूचना प्राप्त करते रहे।
6. एक माह तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर छात्रा का नाम महाविद्यालय रजिस्टर काट दिया जायेगा।

विद्यार्थियों की परीक्षा एवं आन्तरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया

प्रत्येक सत्र के अन्त में वार्षिक परीक्षा महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा आयोजित की जाती है। इस वार्षिक परीक्षा का केन्द्र महाविद्यालय में होता है तथा इसका टाइम टेबल महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा घोषित किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियों का निर्धारण महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के निर्देशानुसार महाविद्यालय द्वारा किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा की तिथियों की सूचना महाविद्यालय तथा सम्बन्धित विभागों के सूचना पट्ट पर लगाई जाती है।

सत्रान्त की वार्षिक परीक्षाओं के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर तीन टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। ये क्रमशः दशहरा अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा प्रिपरेशन लीव के पूर्व आयोजित किए जाते हैं इनमें से प्रथम दो टेस्ट विषय या शिक्षकवार, नियमित टाइम टेबल के कालांशों में ही आयोजित किए जाते हैं तथा तीसरा टेस्ट विश्वविद्यालय की परीक्षा के पैटर्न पर आयोजित किया जाता है।

इन महाविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं को आयोजित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों को उनकी कमजोरियों से अवगत कराना तथा उन्हें बेहतर प्रदर्शन हेतु तैयार करना है। विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं के निहितार्थ को समझते हुए इनमें आवश्यक रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

विशेष :

"महाविद्यालय में कोई कुटिल कार्य करने पर प्राचार्य छात्रा को निष्कासित कर सकते हैं। कॉलेज की सम्पत्ति को कोई हानि पहुँचाना, झगड़ा करना, साईकिल स्टैण्ड पर अन्य छात्राओं की साईकिल चोरी करना या नुकसान पहुँचाना, पुस्तकालय से बिना इश्यू कराये बुक ले जाना, जालसाजी करना आदि कुटिल कार्य के अन्तर्गत आते हैं।"

सत्र 2019–2020 में विभिन्न कक्षाओं में
प्रवेश हेतु स्वीकृत सेक्शन एवं छात्रा संख्या

कक्षा	स्वीकृत सेक्शन	स्वीकृत कुल छात्र संख्या
स्नातक प्रथम वर्ष कला	9	720
स्नातक प्रथम वर्ष जीव विज्ञान समूह	2	140
स्नातक प्रथम वर्ष गणित समूह	2	140
स्नातक प्रथम वर्ष वाणिज्य समूह	3	240
स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष पूर्वार्द्ध संस्कृत	1	60
स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष पूर्वार्द्ध हिन्दी	1	60
स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष पूर्वार्द्ध समाजशास्त्र	1	60

प्रवेश में आरक्षण संम्बन्धी लाभ राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा विभाग की नियमावली के अनुसार देय होगा।

छात्रवृत्तियाँ

छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं की कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर ये छात्रवृत्ति की पात्र नहीं होंगी और छात्रा एक सत्र में केवल एक ही छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकती है। छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु छात्रायें छात्रवृत्ति शाखा में सम्बन्धित छात्रवृत्ति अधिकारियों एवं लिपिक से सम्पर्क कर सकती हैं।

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति–अनुसूचित जाति,जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/वि. पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है।

(2.) आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

आयुक्तालय/निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ प्रवेश नीति 2019–20 के ऑन 'लाईन प्रवेश प्रकिया, शैक्षणिक सत्र सारिणी, सह शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर में निर्धारित पात्रता एवं अन्य शर्तों के अनुसार देय होगीं–

1. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति :** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की योग्यता सूची में आये छात्रों को स्नातक कक्षा के अध्ययन हेतु तथा स्नातक कक्षाओं में विश्वविद्यालय की योग्यता सूची में आये छात्रों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन हेतु यह छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांक लाना अनिवार्य है। स्नातक स्तर की छात्रवृत्ति के लिए छात्र के माता–पिता की कुल वार्षिक आय 25000/– से अधिक न हो तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्ति हेतु आय की कोई सीमा नहीं है।
2. **आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति :** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाली छात्राओं को देय। छात्रवृत्ति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा मैरिट के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। आगामी कक्षा में नवीनीकरण हेतु 50 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य हैं।
3. **अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति :** सीनियर सैकण्डरी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक तथा माता–पिता की कुल वार्षिक आय 25000/– से कम होने पर छात्र इस छात्रवृत्ति हेतु अपने आवेदन–पत्र निदेशक, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से भिजवायें।
4. **महिला योग्यता छात्रवृत्ति :** सीनियर सैकण्डरी परीक्षा या विश्वविद्यालय की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले छात्राओं को उक्तछात्रवृत्ति देय होगी बशर्ते उनके माता–पिता की आय एक लाख रूपये से कम हो। नवीनीकरण हेतु 50 प्रतिशत प्राप्तांक अपेक्षित हैं।
5. **देवनारायण योजनान्तर्गत :** सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा 2018–19 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली एसबीसी की वे छात्रायें जो राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, स्कूटी के लिये आवेदन कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा स्कूटियों की मैरिट लिस्ट जारी होने पर शेष छात्राओं को दस हजार रूप्ये प्रोत्साहन राशि आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की जाती है।
6. **मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :** कक्षा 09, 10, 11, 12 में राजकीय विद्यालय से नियमित अध्ययनरत छात्रा जिसने सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा 2018–19 में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा अभिभावक आयकर दाता नहीं हों , स्कूटी के लिये आवेदन कर सकतीं हैं।
7. **स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति :** राजस्थान के स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों एवं पोतों को अध्ययनरत होने एवं गत परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय होगी। बशर्तें छात्र के माता–पिता की कुल वार्षिक आय 14,400/– रूपये से अधिक न हो।
8. **मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति :** राज्य सेवा में कार्य करते हुए मृत कर्मचारी के महाविद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए देय होगी, आय सीमा कुछ नहीं। छात्र के उत्तीर्ण होने पर यह छात्रवृत्ति निरन्तर मिलती रहेगी।
9. **उर्दू छात्रवृत्ति :** केवल राजस्थान के मूल निवासी उन छात्रों को देय, जिन्होंने स्नातक स्तर पर उर्दू को ऐच्छिक विषय के रूप में लेकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा स्नातकोत्तर कक्षा में उर्दू विषय लेकर द्वितीय श्रेणी प्राप्त की हो।
10. **भारत पाक एवं चीन युद्ध में मृत अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों को एवं विधवाओं को देय छात्रवृत्ति** : महाविद्यालय में अध्ययन हेतु प्रदान की जाती है।
11. **ललित कला छात्रवृत्ति (1) :** राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर से मध्यमाविशारद में 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को देय बशर्ते उनके माता–पिता आयकर नहीं देते हों।
12. **ललित कला छात्रवृत्ति (2)** : राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स से फाउण्डेशन कोर्स में 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाकर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर देय।
13. **पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति :** सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर देय। माता–पिता आयकर दाता न हों।
14. **मुख्य मंत्री छात्रवृत्ति :** सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा 2018–19 में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्रायें, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो, को देय है।
15. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली की छात्रवृत्तिः** सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा, स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में संस्कृत विषय में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्रायें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56–57 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली–

110058 में आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक छात्रायें सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करें।

(3.) अन्य छात्रवृतियों एवं प्रोत्साहन राशि (विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली छात्रवृतियाँ एवं प्रोत्साहन राशि)

1. **सुमेधा छात्रवृति** – निर्धन एवं मेधावी सीनियर सैकण्डरी 70 %
2. **जिन्दल फाउण्डेशन** – आय सीमा 2 लाख सीनियर सैकण्डरी 55 %
3. **माड़ा कलस्टर प्रोत्साहन राशि** – (केवल एस. टी. महिला, माड़ा एवं बिखरे क्षेत्र, केवल भरतपुर जिला) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रदत्त।
4. **एम. एच. आर. डी. छात्रवृत्ति–** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा वर्गवार सीनियर सेकेण्ड्री मेरिट के आधार पर ।
5. **इन्सपायर छात्रवृत्ति–** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विज्ञान वर्ग की छात्राओं को ही दी जाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा देय अन्य छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जायेंगी।

छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति संबंधी मार्गदर्शिका

छात्राऐं नूतन (फ्रेश) अथवा नवीनीकरण (रिन्यूवल) छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित आवेदन–पत्र में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाते ही शिक्षण संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगी। ***आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण तथा सुस्पष्ट होना चाहिए*** जिसमें निम्न बातें प्रमुख हैं :–
उक्त श्रेणी की जिन छात्राओं ने सीनियर सैकण्डरी परीक्षा पास की है अथवा जिन्होंने एक स्तर का कोर्स पूरा किया है जैसे इन्टरमीडियेट आदि आगे अध्ययन हेतु स्नातक कला, विज्ञान, वाणिज्य में प्रवेश लेती हैं, उन्हें नूतन के आवेदन पत्र भरने होंगे तथा जिन छात्राओं ने इस महाविद्यालय से या अन्य किसी महाविद्यालय से प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त की है उन्हें नवीनीकरण के फार्म भरने होंगे।

शुल्क सूची
महाविद्यालय वेब साईट **www.hte.rajasthan.gov.in /college/govt. college** *पर उपलब्ध है, इस हेतु वेब साईट का अवलोकन करें।*

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

राज्य सरकार ने विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना पत्रांक प.4 (7) वित्त/राजस्व/2002 दिनांक 11.12.02 द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए अनिवार्य रूप से लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं मे अध्ययनरत सभी विद्याथियों का एक वर्ष के लिए बीमा किया जाता है जिसके अन्तर्गत एक निश्चित राशि का भुगतान विद्यार्थी की मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति पर किया जाता है। महाविद्यालय में पढने वाले विद्यार्थियों के लिए योजना का नाम 'नचिकेता' रखा गया है। नचिकेता में प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी बीमाधन रू. 50,000/– के लिए प्रीमियम राशि रू. 50/– प्रति छात्र प्रति वर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि शिक्षण संस्था में 500 से अधिक छात्र अध्ययनरत है तो प्रीमियम राशि रूं. 50/– प्रति छात्र प्रति वर्ष होगी।

नचिकेता बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना के कारण आयी चोटों के परिणामस्वरूप 24 घण्टे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी एंव प्राइवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर अथवा चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र, दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर अधिकतम राशि रू. 2000/– बीमाधन के अतिरिक्त लाभ देय होगा। किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु/क्षति होने पर दावा प्रपत्र प्राप्त किया जायेगा जिसमें विमुक्ति पत्र पर संबंधित क्षेत्र के एम.एल.ए/प्रधान/मेयर/संरपच/पार्षद/कार्यकारी अधिकारी (नगरपालिका)/चेयरमैन/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। दावे का निस्तारण संबंधित जिला अधिकारी राजकीय शिक्षण संस्थाओं के छात्र/छात्राओं के उत्पन्न दावों की प्रक्रिया के

अनुसार ही तय करेगा। इस हेतु समस्त उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग को रू. 55000/– तक के भुगतान हेतु अधिकृत किया गया है। उपयुर्क्त बीमा योजना सन्न 2006–07 से महाविद्यालय में लागू की जा चुकी है।

छात्रा सहायता कोष :

योग्य एवं अभावग्रस्त छात्राओं को इस सहायता कोष से आर्थिक सहायता दी जाती है। विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर एवं इच्छुक छात्राओं को माह अगस्त–सितम्बर में कार्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

विद्यार्थी परामर्श ब्यूरो (SAB) :

छात्राएँ अपने कैरियर,एवं रोजगार आदि से संबंधित सूचनाएँ इस केन्द्र से प्राप्त कर सकती हैं।

पुस्तकालय एवं वाचनालय :

पुस्तकालय प्रत्येक संस्थान का हृदय–प्राण होता है, यह समस्त ज्ञानार्जन का स्रोत है। यह शिक्षा प्राप्ति, शोध, चिन्तन एवं निर्णय शक्ति के विकास और अभिरुचियों को विकसित करने, सूचना एकत्र करने, आत्मज्ञान एवं मनोरंजन आदि के लिए सक्षम एवं रचनात्मक साधन है। वर्तमान में इस पुस्तकालय में लगभग 37374 पुस्तकें उपलब्ध हैं। लगभग 35 पत्रिकायें तथा 09 समाचार पत्र नियमित रूप से मंगाये जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न विषयों के 21 पत्रिकायें (जर्नल्स) भी मंगाये जाते हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग पुस्तकालय एवं वाचनालय में जाकर करें । वर्तमान में पुस्तकालय का कम्प्युटरीकरण कार्य पूर्ण हो गया है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है तथा पुस्तकालय inflibnet द्वारा जुड़ा हुआ है जिससे छात्रायें, शोधार्थी एवं संकाय सदस्यगण अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तक, मैगजिन तथा जर्नल्स आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सदस्यता :– प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेशोपरान्त पुस्तकालय का सदस्य बनाया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तकें प्राप्त करने हेतु दो सदस्यता–पत्र प्रदान किये जाते हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी 15 दिन के लिए दो पुस्तकें प्राप्त कर सकता है। निश्चित तिथि पर पुस्तकें न लौटाने पर नियमानुसार दण्डस्वरूप पैसे जमा कराने होंगे, खोई पुस्तक का दुगना मूल्य देय होगा।

पुस्तकालय उपयोग प्रणाली एवं निर्देश :

पुस्तकालय में खुली आलमारी प्रणाली (open shelf system) है, जिससे विद्यार्थियों को पुस्तक चयन कर प्राप्त करना सुविधाजनक होता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकों को सावधानी से उठायें और रखें। पुस्तक को खराब करना, रेखांकित करना, पन्नों को फाड़ना एवं पठन सामग्री की चोरी करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करते पाये जाने पर अर्थदण्ड से लेकर महाविद्यालय से निष्कासित तक किया जा सकता है। पुस्तकालय के भीतर निजी पुस्तकों को ले जाना वर्जित है तथा वहां पूर्ण शांति का वातावरण बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है। सम्पूर्ण पुस्तकालय सी.सी.टी.वी. कैमरों से सुसज्जित है।

बुक बैंक (Book Bank)

पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों का एक पृथक् बुक बैंक छात्राओं के वार्षिक सहायता शुल्क एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से स्थापित किया गया है। इस बैंक से पूरे सत्र के लिए पुस्तक निर्धन एवं योग्य छात्राओं को प्रदान की जाती है। इस बैंक की सफलता हेतु प्राप्त पुस्तकों को छात्राओं द्वारा सही स्थिति में रखना आवश्यक है।

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आदेश की अनुपालना में युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ की मानिटरिंग में निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

1. राष्ट्रीय सेवा योजना
2. रोवर रेंजर स्काउट

3. युवा विकास केन्द्र / महिला अध्ययन प्रकोष्ठ / मानव अधिकार क्लब / मतदाता क्लब

इस महाविद्यालय में अध्ययन करने वाली सभी छात्राओं को निम्नलिखित चार कार्यक्रमों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है।

1. राष्ट्रीय सेवा योजना

एन. एस. एस. का गाँधी शताब्दी वर्ष में शुभारम्भ राष्ट्रपिता को उनके युवाओं से अटूट विश्वास की श्रद्धांजलि का स्वरूप है। अपने शैशव से यौवन की यात्रा में एन. एस. एस. ने शैक्षिक परिसरों को समाज से जोड़ने का कार्य किया है तथा सार्वजनिक हित की अनेक योजनायें क्रियान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्र शिक्षा के साथ–साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनें।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरुकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत रंग में एन. एस. एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर छात्राऐं ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकती हैं तथा इस प्रकार समाज में एक अनुक्रियाशील नागरिक बन सकती हैं।

एन. एस. एस. में छात्राओं को नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत दो वर्ष में 240 घंटे अपनी रूचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में छात्राओं के लिए विभिन्न विषयों पर पुनर्विन्यास, वाद–विवाद, आशुभाषण, प्रश्न–मंच, जागरूकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय/बस्ती में आयोजित किये जाते हैं तथा तीन एक दिवसीय शिविर एवं एक सात दिवसीय विशेष शिविर (दो साल में एक) में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि का कार्य करने वाले स्वयंसेवक को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने पर पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाता है ।

इस महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन. एस. एस. की 4 इकाईयां स्वीकृत हैं, जिनमें प्रत्येक इकाई में सौ छात्रायें पंजीकृत की जाती हैं।

एन. एस. एस. गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है परन्तु प्रत्येक इच्छुक छात्रा को एक आवेदन–पत्र भरना आवश्यक है, जो महाविद्यालय के एन. एस. एस. कार्यक्रम अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ष में चयन निर्धारित नियमों के अनुसार रिक्त स्थानों के लिये किया जाता है।

2. रोवर रेंजर स्काउट

युवा वर्ग को सुसंस्कारित, सेवा भावी, स्वावलम्बी एवं आत्मानुशासी बनाने में रेंजरिंग संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से छात्राओं को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। प्रतिभागी/विजेता को राष्ट्रपति अवार्ड, उपराष्ट्रपति शील्ड, राज्यस्तरीय पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी एवं कांफ्रेस में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

3. युवा विकास केन्द्र / महिला अध्ययन प्रकोष्ठ / मानव अधिकार क्लब / मतदाता क्लब

महाविद्यालय में युवा विकास केन्द्र / महिला अध्ययन प्रकोष्ठ / मानव अधिकार क्लब की गतिविधियाँ संचालित हैं।

छात्रायें युवा विकास केन्द्र (YDC) के माध्यम से व्यक्तित्व विकास द्वारा रोजगार के अच्छे अवसर तलाश सकती हैं। श्रेयस के अन्तर्गत रोजगार परक प्रशिक्षण हेतु तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर की छात्राओं का पंजीयन किया गया है।

महिला अध्ययन प्रकोष्ठ महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सभी नियमित छात्रायें इस प्रकोष्ठ की सदस्या हैं। उन्हें प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

मानव अधिकार से सम्बन्धित जानकारी एवं कार्यक्रम मानव अधिकार क्लब द्वारा आयोजित किय जाते हैं।

मतदाता क्लब के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अन्य गतिविधियाँ

खेल–कूद (Games & Sports)

खेल–कूद स्वास्थ्य और मनोरंजन दोनों की दृष्टि से प्रत्येक छात्रा के लिए आवश्यक है। ऐसी छात्रायें जो अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग नहीं लेती उनके लिए खेल–कूद में भाग लेना अनिवार्य है। महाविद्यालय में बैडमिन्टन,खो–खो, टेबिल टैनिस, वालीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों की व्यवस्था है। छात्राओं की खेल–कूद सम्बन्धी प्रतिभा की अभिव्यक्ति तथा अधिकाधिक छात्राओं को अवसर देने के उद्देश्य से महाविद्यालय अन्तर्कक्षा वार्षिक खेल–कूद एवं खेल

प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल परिषद् द्वारा किया जाता है तथा विजेता कक्षा को चल वैजयन्ती (शील्ड) प्रदान की जाती है। समय–समय पर विशेष मैचों का आयोजन किया जाता है। उत्तम टीमें संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये भेजी जाती हैं।

योजना मंच

देश की आर्थिक योजनाओं की जानकारी एवं उसमें वांछित सक्रिय सहयोग देने के लिए योजना मंच इकाई महाविद्यालय में चलती है।

इको क्लब

इको क्लब से जुड़कर पर्यावरण के संरक्षण एवं सतत् विकास के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। छात्राएँ इस क्लब की गतिविधियों में भाग लेकर इनका लाभ उठा सकती हैं।

उद्यमिता जागृति शिविर

महाविद्यालय की तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर द्वारा प्रायोजित उद्यमिता जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर के माध्यम से छात्राओं को स्वरोजगार हेतु विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है ।

छात्रासंघ (Student Union)

छात्रासंघ का गठन राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त होने पर ही किया जावेगा। इसके अन्तर्गत छात्राओं द्वारा विभिन्न शैक्षणिक, शिक्षणेत्तर एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

संकाय परिषद् :

प्रत्येक संकाय की एक परिषद होगी यथा :– कला परिषद्, वाणिज्य परिषद एवं विज्ञान परिषद् एवं जिनके सदस्य सम्बन्धित संकाय में प्रवेशित सभी छात्राएँ होंगी। महाविद्यालय में संचालित कला परिषद् के अंतर्गत विस्तार भाषण, व्याख्यान, पत्रवाचन, परिचर्चा, श्लोक पाठ, संस्कृत, गद्य पाठ, संस्कृत सूक्ति लेखन, भाषण, कविता लेखन, प्रश्न मंच, रंगोली, मांडना, चित्रयोजना आदि सृजनात्मक प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं। इसी प्रकार विज्ञान परिषद् में भाषण प्रतियोगिता, चार्ट प्रतियोगिता एवं समूह चर्चा तथा वाणिज्य परिषद् के अंतर्गत पत्रवाचन एवं नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

इन परिषदों के अन्तर्गत संकाय विशेष की प्रासंगिक प्रतियोगिताएँ (वाद–विवाद, पत्र वाचन, सामान्य ज्ञान, प्रश्न–मंच, कार्टून, चार्ट बनाना, आशुभाषण, निबन्ध, माडल बनाना) शैक्षणिक भ्रमण एवं विस्तार भाषण आदि गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

संकाय परिषद् का गठन

	कला परिषद्	विज्ञान परिषद्	वाणिज्य परिषद्
अध्यक्ष	पूर्वार्द्ध की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त	स्नातक द्वितीय वर्ष, (गणित एवं जीव विज्ञान) परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक द्वितीय वर्ष (वाणिज्य) में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा
उपाध्यक्ष	स्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक द्वितीय वर्ष, (गणित एवं जीव विज्ञान) परीक्षा में द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक द्वितीय वर्ष (वाणिज्य) में द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा
महासचिव	स्नातक द्वितीय वर्ष परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक प्रथम वर्ष, (गणित एवं जीव विज्ञान) परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक प्रथम वर्ष (वाणिज्य) में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा
संयुक्त सचिव	स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक प्रथम वर्ष, (गणित एवं जीव विज्ञान) परीक्षा में द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक प्रथम वर्ष (वाणिज्य) में द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा

विज्ञान परिषद् में अध्यक्ष एक वर्ग में से हो जावें तो उपाध्यक्ष दूसरे वर्ग में से मनोनीत होगा। इसी प्रकार महासचिव एक वर्ग में से हो तो संयुक्त सचिव दूसरे वर्ग में से मनोनीत होगा।

महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय द्वारा पत्रिका **''प्रेरणा''** प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से महाविद्यालय की छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। सृजनात्मक रूचि रखने वालों को चाहिए कि पत्रिका के लिए स्वरचित रचनायें देकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा को विकसित करें।

साईकिल / मोपेड / स्कूटर स्टैण्ड

महाविद्यालय में साईकिल / मोपेड स्टैण्ड की सुविधा उपलब्ध है। इनका प्रयोग करने वाली छात्रायें अपने वाहन इस स्टैण्ड पर ही रखें। टोकन दिखाने पर ही स्टैण्ड का उपयोग किया जा सकेगा। अन्यत्र रखने पर छात्रा स्वयं ही जिम्मेदार होगी।

संकाय सदस्य

प्राचार्य	1	रिक्त
उपाचार्य	1	श्रीमती लता भार्मा
कला संकाय		
हिन्दी	1	डॉ. सीता राम लहरी
	2	डॉ. कविता आचार्य
	3	डॉ. शशि प्रभा
	4	श्रीमती अनीता मीना
	5	रिक्त
	6	रिक्त
चित्रकला	1	डॉ. रमेश चन्द वर्मा
	2	रिक्त
अर्थशास्त्र	1	डॉ. रजनी वशिष्ठ
अंग्रेजी	1	श्रीमती ललिता बैरवा
	2	रिक्त
	3	रिक्त
इतिहास	1	श्रीमती सुमन गोयल
संगीत	1	रिक्त
दर्शनशास्त्र	1	डॉ. राज्य श्री यादव (प्रतिनियुक्ति पर)
गृह विज्ञान	1	श्रीमती मधु शर्मा
	2	श्रीमती साधना शर्मा
	3	रिक्त
	4	रिक्त
	5	रिक्त
मनोविज्ञान	1	डॉ. सुजाता चौहान
	2	डॉ. मीनू अरविन्द अग्रवाल
	3	रिक्त
राजनीति शास्त्र	1	डॉ. निशा गोयल
	2	डॉ. अलका गोयल
	3	श्रीमती दीप्ति अग्रवाल
संस्कृत	1	डॉ. लाला शंकर गयावाल
	2	डॉ. मधु अग्रवाल
	3	डॉ. सरोज
	4	रिक्त
	5	रिक्त

	6	रिक्त
समाजशास्त्र	1	डॉ. लक्ष्मी गुप्ता
	2	श्री मानसिंह मीना
	3	रिक्त
	4	रिक्त
	5	रिक्त
वाणिज्य संकाय		
लेखा एवं सांख्यिकी	1	श्री विमले” ा सिसोदिया
	2	रिक्त
व्यावसायिक प्रशासन	1	रिक्त
	2	रिक्त
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध	1	श्रीमती पूजा पारीक
विज्ञान संकाय		
वनस्पति शास्त्र	1	डॉ. करूणा गौर
	2	डॉ. अंजली भारतीय
	3	डॉ. कृति भार्मा
	4	रिक्त
प्राणी शास्त्र	1	डॉ. एम.एम. त्रिगुणायत
	2	डॉ. अंजू पाठक (प्रतिनियुक्ति पर)
	3	डॉ. कमलेश
	4	रिक्त
रसायन शास्त्र	1	डॉ. शिल्पीदीप माथुर (प्रतिनियुक्ति पर)
	2	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता
	3	श्री जगदी” ा कुमार
	4	रिक्त
	5	रिक्त
गणित	1	श्रीमती सविता भार्गव
	2	श्रीमती अंजना कौल
भौतिक शास्त्र	1	डॉ. के.के. गुप्ता
	2	रिक्त
खेल विभाग		
खेल प्रभारी	1	श्री निरंजन सिंह
पुस्तकालय विभाग		
पुस्तकालयाध्यक्ष	1	रिक्त

अधीनस्थ एवं मन्त्रालयिक कर्मचारीगण

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1	1	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
कार्यालय अधीक्षक	1	श्री सूर्यप्रका" I भार्मा
सहा. कार्यालय अधीक्षक	1	रिक्त
वरिष्ठ सहायक ग्रेड प्रथम	1	श्रीमती मंजू वर्मा
	2	श्रीमती बृजेश्वरी देवी (अतिरिक्त)
कनिष्ठ सहायक ग्रेड द्वितीय	1	श्री श्रेयस
	2	रिक्त
	3	रिक्त
प्रयोगशाला सहायक	1	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान
	2	श्री देवी सहाय मीना
	3	श्री गजेन्द्र सिंह बेनीवाल
	4	श्री मनीष पुरी
	5	रिक्त
मैकेनिक	1	श्री अनिल कुमार शर्मा
तबला वादक	1	रिक्त

सहायक कर्मचारीगण

बुकलिफ्टर	1	श्री जगदीश प्रसाद
लैववियरर	1	रिक्त
	2	रिक्त
	3	रिक्त
	4	रिक्त
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	श्री भजन लाल
	2	श्री यादराम मीना
	3	श्रीमती सन्तोष शर्मा
	4	रिक्त
	5	रिक्त
	6	रिक्त
	7	रिक्त
एनीमल कैचर	1	रिक्त

परिशिष्ट–2

संकाय / विषय समूह बदलने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रारूप

नोटः– संकाय / विषय समूह परिवर्तन प्रवेश नीति के नियमानुसार किया जाना सम्भव है।

सेवा,

प्राचार्य
रामेश्वरी देवी राज. कन्या महाविद्यालय,
भरतपुर

विषयः– संकाय / विषय समूह परिवर्तन हेतु प्रार्थना–पत्र

महोदय,

मै... पुत्री श्री .... ने कक्षा .... में सत्र 2019–20 में इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है। मेरा वर्ग (सेक्शन).................. है तथा मेरा विषय समूह 1. .... 2. .... 3. .... है।

मैं उपरोक्त विषय समूह के स्थान पर विषय समूह (जो लेना है)

.1. .... 2. .... 3. .... लेना चाहती हूँ।

धन्यवाद!

प्रार्थी

हस्ताक्षर
छात्रा का नाम ....
कक्षा ....
संकाय ....
प्रवेशांक ....

GOVT. R.D. GIRLS COLLEGE, BHARATPUR

Fee Structure 2019-20 UG-B.A. B.Sc. & B.Com. PART – I

Head	Subhead	ITP&NITP GEN/SC/ST/OBC/SBC/Govt. Employees	PH
Govt. Fees		00	0
Other Fees	Lab Fees (Sc. And Arts Practical)	00	0
	Computer Education Fees	450	0
	Insurance Fe e	50	0
	Univ. Games Fee	50	0
	Univ. Development Fee	50	0
	Mahavidhyalaya Vikas Samiti Fee	150	0
Boys Fund	Caution Money	25	0
	Library Fee	10	0
	Lib. Open Shelf Fee	5	0
	Reading Room Fee	100	0
	College Magazine Fee	50	0
	Cultural Activities Fee	10	0
	Planning Forum	2	0
	Rangering/Scout Guide Fee	10	0
	Eco Club	10	0
	Gen. Purpose Fee	100	0
	Student help Fee	5	0
	Medical Check up Fee	5	0
	Campus beautification Cleanliness Fee	5	0
	ID Card Fee	20	0
	Postage Fee	5	0
	Internal Ass. Fee	75	0
	Subject Counselling/Career Counselling	20	0
	College Dev. Fee	50	0
	College Games Dev. Fee	100	0
	Student Union Activity Fee	25	0
	Cycle Stand Fees	25	0
	Girls Asso. Fee	10	0
	TOTAL	1417	

GOVT. R.D. GIRLS COLLEGE, BHARATPUR

Fee Structure 2019-20 UG-B.A. B.Sc. & B.Com. PART – II & III

Head	Subhead	ITP&NITP GEN/SC/ST/OBC/SBC/Govt. Employees	PH
Govt. Fees		00	0
Other Fees	Lab Fees (Sc. And Arts Practical)	00	0
	Insurance Fe e	50	0
	Univ. Games Fee	50	0
	Univ. Development Fee	50	0
	Mahavidhyalaya Vikas Samiti Fee	150	0
Boys Fund	Library Fee	10	0
	Lib. Open Shelf Fee	5	0
	Reading Room Fee	100	0
	College Magazine Fee	50	0
	Cultural Activities Fee	10	0
	Planning Forum	2	0
	Rangering/Scout Guide Fee	10	0
	Eco Club	10	0
	Gen. Purpose Fee	100	0
	Student help Fee	5	0
	Medical Check up Fee	5	0
	Campus beautification Cleanliness Fee	5	0
	ID Card Fee	20	0
	Postage Fee	5	0
	Internal Ass. Fee	75	0
	Subject Counselling/Career Counselling	20	0
	College Dev. Fee	50	0
	College Games Dev. Fee	100	0
	Student Union Activity Fee	25	0
	Cycle Stand Fees	25	0
	Girls Asso. Fee	10	0
	TOTAL	942	

GOVT. R.D. GIRLS PG COLLEGE, BHARATPUR

Fee Structure 2019-20 PG

Head	Subhead	ITP&NITP GEN/SC/ST/OBC/SBC/Govt. Employees	PH
Govt. Fees	Admission Fee	0	0
Other Fees	Insurance Fee	50	0
	Univ. Games Fee	50	0
	Univ. Development Fee	50	0
	Mahavidhyalaya Vikas Samiti Fee	150	0
Boys Fund	Caution Money	25*	0
	Library Fee	10	0
	Lib. Open Shelf Fee	5	0
	Reading Room Fee	100	0
	College Magazine Fee	50	0
	Cultural Activities Fee	10	0
	Planning Forum	2	0
	Rangering/Scout Guide Fee	10	0
	Eco Club	10	0
	Gen. Purpose Fee	100	0
	Student help Fee	5	0
	Medical Check up Fee	5	0
	Campus beautification Cleanliness Fee	5	0
	ID Card Fee	20	0
	Postage Fee	5	0
	Internal Ass. Fee	75	0
	Subject Counselling/Career Counselling	20	0
	College Dev. Fee	50	0
	College Games Dev. Fee	100	0
	Student Union Activity Fee	25	0
	Cycle Stand Fees	25	0
	Girls Asso. Fee	10	0
	TOTAL	942	0

* Only on new enrollment

प्रवेश नीति 2019–20

आयुक्तालय वेब साइट **www.hte.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है कृपया अवलोकन करें।

सावधान

महाविद्यालय परिसर में छात्राओं द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग प्रतिबंधित है। दोषी पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्याओं के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि 'यदि रैगिंग का कोई प्रकरण महाविद्यालय प्रशासन की नजर में आयेगा तो सम्बन्धित छात्रा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जायेगा यदि उसका स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद नही पाया गया तो महाविद्यालय प्रशासन छात्रा को संस्था से निष्कासित कर देगा।'

तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय

महाविद्यालय में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि तम्बाकू उत्पाद बेचना एवं उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर कानून की धारा 4 एवं 6 (ब) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

महत्वपूर्ण

महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों, स्टाफ मेम्बर्स के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्राचार्य की अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पाठ्यक्रम, टाइम–टेबल, परीक्षा व्यवस्था आदि के लिये विद्यार्थियों को अनवरत सूचना पट्ट देखते रहना चाहिये। सूचना पट्ट पर प्रसारित सूचना की जानकारी प्राप्त करना उनका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।

सभी विवादों में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

प्रवेश नियमों एवं महाविद्यालय की समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित समस्त जानकारी महाविद्यालय की वेब साइट **www.hte.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है कृपया अवश्य अवलोकन करें।